

५५७ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं
 वादीय उपस्थित नहीं है। वकील प्रतिवादी उपस्थित
 है। कई बार आवाज दिलाने पर भी वादिया एवं
 वकील वादी उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः
 न्याय अदम हाजरी व अदम पैसी में स्वारिज
 किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमांर दोकर
 नुमांर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल
 नुमांर हो।

(७७)
 उप जिला कलेक्टर
 गंगपुर सिटी

वै। बहस को समय
 पत्रावली दि०

उमरापत्र
 नुमांर १६० १८-११-१६